



फोन / फॅक्स : 0135-2621669 ई-मेल : director.rajaji@gmail.com

कार्यालय-निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 290 / 124 देहरादून, दिनांक 20-7-2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांखरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-(FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./01/146/2018/एफ०सी०/174 दिनांक 31-05-2021 एवं आपका ई०डी०एस०, दिनांक 02 जून, 2021

महोदय,

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० पत्र में इंगित दो बिन्दुओं की आनलाईन आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला द्वारा अपने पत्र सं० 38/12-1, दिनांक 15-07-2021(प्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है:-

बिन्दु संख्या 1- प्रभागीय वनाधिकारी,, टौन्स वन प्रभाग के कार्यालय से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 2- गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांखरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली वास्तविक वन भूमि 24.317 है० है।

अतः उक्त विषयक प्रकरण में उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला द्वारा उपलब्ध करायी गयी वांछित ई०डी०एस० सूचना अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- उक्तानुसार।

भवदीय

(डी०के०सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 290 /दिनांकित।

प्रतिलिपि- 1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० पत्र एवं इस कार्यालय की पत्र सं० 5122/12-1, दिनांक 22-06-2021 के क्रम में।

2. उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला को उनके पत्र सं० 38/12-1, दिनांक 15-07-2021के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला को उक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० पत्र एवं इस कार्यालय की पत्र सं० 5122/12-1, दिनांक 22-06-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी०के०सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय-उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
पुरोला, दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०.01373-223433, Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 38 / 12-1 पुरोला:

दिनांक 15/07/2021

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मे०वा० क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/HYD/22889/2016)
सन्दर्भ:- इस कार्यालय की पत्र सं०-1816/12-1 दिनांक-10.06.2021 के क्रम में आपका पत्र-5122/12-1, दिनांक-22.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार इस प्रकार है-
बिन्दु संख्या 1-सम्बन्धित आपत्ति प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के कार्यालय से सम्बन्धित है।
बिन्दु संख्या 2-गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली वास्तविक वन भूमि 22.067 है० है।
अतः सूचना अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

(डी०पी०बलूनी)
उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क,
पुरोला, उत्तरकाशी।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी०पी०बलूनी)
उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क,
पुरोला, उत्तरकाशी।